स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड') और उसकी 7 (सात) सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति में समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं ('समेकित वित्तीय विवरण' अथवा 'सीएफ़एस').

   हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण, नीचे निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मद के पैरा में इंगित मदों के साथ पठित, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 की स्थिति में समूह के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और इसके समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

महत्वपूर्ण तथ्य

3. हमारे अभिमत में आशोधन किए बगैर, समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफ़एस) के नोट सं. बी-22 से लेकर अनुसूची 18 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नाबार्ड की सभी सात सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और इनका समेकन इन सहायक संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है. इस नोट में आगे यह भी इंगित किया गया है कि आंशिक लॉकडाउन और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से संबंधित सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन सहायक संस्थाओं के लेखा परीक्षण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका. इन सहायक संस्थाओं की लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजन की वजह से होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का निश्चित आकलन नहीं किया गया है, अत: हम इस पर

टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए ब्यौरे के अनुसार इन सीएफ़एस पर यह प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा.

4. सीएफ़एस के नोट संख्या ए-19 से अनुसूची 18 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए धारक बैंक के प्रबंधन द्वारा अपने परिचालनों और वित्तीय रिपोर्टिंग का आकलन किया गया है. प्रबंधन द्वारा किया गया यह आकलन और महामारी के परिणाम समय सापेक्ष और परिस्थितिजन्य होते हैं. इस संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है.

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें

5. हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे हैं जो वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुंचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते. अपने व्यावसायिक मत में हमने निम्नलिखित को ऐसी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में अभिव्यक्त करना है:

धारक बैंक के संबंध में लेखापरीक्षा मद का विवरण	*मद की लेखापरीक्षा प्रक्रिया*
विभिन्न आईटी प्रणालियां: धारक बैंक विभिन्न और अलग-अलग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर प्रतिदिन प्रोसेस किए जाने वाले लेनदेनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा पद्धति व्यापक रूप से इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस तथा उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों के माध्यम से जेनरेट की गई अनेक रिपोर्टों पर निर्भर करती है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं : • सीएलएमएएस– लेनदेनों की प्रोसेसिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रणाली. • टीएएलएमएस– ट्रेजरी परिचालन • एम्पावर एचआरएमएस– मानव संसाधन और वेतन • विविध वर्कफ़्लो जिनमें सीएलएमएएस में डाटा डाला जाता है. • एफ़एएमएस– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण • उक्त में से एक या अधिक प्रणालियों के इंटरफेस/ इंटरप्ले से रिपोर्टें निर्मित या जेनरेट होती हैं. एप्लीकेशनों और अंतर्निहित डाटा में परिवर्तन उपयुक्त रीति से किए जाएं यह सुनिश्चित करने में सामान्य और एप्लीकेशन और आईटी नियंत्रण महत्वपूर्ण है. पर्याप्त नियंत्रण रहने से संभावित धोखाधड़ी या एप्लीकेशनों और डाटा में परिवर्तनों के कारण होने वाली भूलों की जोखिम का शमन करने में मदद मिलती है. धारक बैंक का प्रबंधन निरंतर कई सुधारात्मक उपाय करता रहता है और इनके कार्यान्वयन को बेहतर करने की प्रक्रिया में है ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों के जोखिमों को कम किया जा सके. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं के लिए निवारणात्मक और अन्वेषक नियंत्रणों का कार्यान्वयन शामिल है. इस वर्ष की गई रिपोर्टिंग के दौरान, सिस्टम इंटरफेस और अन्य प्रणालियों जैसे टीएलएमएएस के माध्यम से की गई लेखांकन प्रविष्टियों में कई त्रुटियाँ देखी गईं और उन्हें ठीक किया गया. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में हमने लेखापरीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा की आयोजना की, इसीलिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा मद दी गई है.	हमने धारक बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए कई लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियां अपनाईं; जिनमें शामिल हैं: एप्लीकेशनों पर परिचालन प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए विश्वसनीय आधार माने जाने वाले डाटा आधारों तक पहुँच के अधिकार सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों से संबंधित सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा. हमारी लेखापरीक्षा जांचों की रूपरेखा में निम्नलिखित को शामिल किया गया: • बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; • चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता तारीखों की पुनर्गणना की गई; • चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेटिंग, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफ़ेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; • चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जांच की गई; • लेखांकन प्रणाली में पोस्ट की जाने वाली गलत प्रविष्टियों के संबंध में, इन त्रुटियों का आकलन करने के लिए 'त्रुटियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण' किया गया और इन प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँचों में कमी का पता लगाया गया ताकि उपयुक्त स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन मांगा जा सके. • मुख्य वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के लिए सिस्टम के माध्यम से तैयार रिपोर्टों की जांच करना (कम्प्युटर प्रणाली का सत्यापन) ताकि लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई गलत प्रविष्टियों को ठीक किया जा सके.

समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

6. अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन, वित्तीय विवरण और उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, शामिल हैं ('अन्य सूचना').

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत इस विषय को यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

7. धारक बैंक के प्रबंधन का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इस दायित्व में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर निरंतर चलने वाली संस्था के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं.

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

8. हमारा उद्देश्य है इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित किए गए विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों. इस रिपोर्ट के अनुबंध 1 में लेखा मानकों के अनुरूप हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण दिया गया है.

अन्य मदें

9. इन वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षा के उद्देश्य से हमारे द्वारा विज़िट किए गए 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 2 प्रशिक्षण संस्थानों की विवरणियाँ शामिल हैं और इनमें प्रधान कार्यालय सहित 83.08% अग्रिम, 100% डिपॉज़िट, 84.95% ब्याज से आय और 100% ब्याज पर खर्च का समावेश है. इन कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों को धारक बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. हमने धारक बैंक के शेष 14 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 प्रशिक्षण केंद्र का दौरा नहीं किया है, लेकिन प्रधान कार्यालय में उनकी विवरणियों की समीक्षा की है

10. कोविड 19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन और सीमित आवागमन के कारण, इस वार्षिक

रिपोर्ट की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए हमने धारक बैंक के प्रधान कार्यालय से इतर अन्य स्थानों से कार्य करते हुए प्रबंधन द्वारा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए गए डेटा/विवरण/वित्तीय सूचना/रिकॉर्ड्स का सहारा लिया है. बाध्य होकर, हमने महत्वपूर्ण मामलों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का सहारा लिया.

11. उपर्युक्त पैरा 3 में दर्शाए गए अनुसार, वर्तमान लॉकडाउन परिस्थिति के कारण इन 7 (सात) सहायक संस्थाओं, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की इस तिथि में, सीएफ़एस में हिसाब में लिए गए अनुसार, कुल ₹3978.94 करोड़ की परिसंपत्ति, कुल ₹505.89 करोड़ का राजस्व, कर के बाद ₹82.12 करोड़ का निवल लाभ और ₹84.24 करोड़ की निवल नकद आवक दर्शाई गई है, का लेखापरीक्षण इन सहायक संस्थाओं के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं किया गया है. चूंकि ये लेखापरीक्षित नहीं हैं, अत: इन सहायक संस्थाओं से संबंधित राशियों और प्रकटनों के संदर्भ में सीएफ़एस पर हमारा अभिमत केवल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणित आंकड़ों की विश्वसनीयता पर आधारित है. सीएफएस पर हमारा अभिमत और अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई इस आशय की लिखित सूचना पर आधारित है कि इन सहायक संस्थाओं के लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप रिपोर्ट किए गए इनके आंकड़ों में किए जाने वाले परिवर्तनों/समायोजनों, यदि कोई हो, से समूह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

12. हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और व्याख्या के अनुसार और हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरण में सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है.

कृते **खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं.105146 डब्ल्यू/डब्ल्यू100621

हसमुख बी डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता सं.: 033494
आईसीएआई यूडीआईएन**:** 21033494AAAAGS4359

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई, 18, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

("समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" शीर्षक पैरा 8 में संदर्भित)

लेखा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ समेकित ही,

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और महत्वपूर्ण मदों के लिए ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हमनें वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन किया है. यह बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है.
- हम समूह के प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन संबंधी अनुमानों तथा किए गए संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम लेखांकन के निरंतर संस्था आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में समूह की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां समूह के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- हम धारक बैंक के अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता और उसको समुचित रूप से प्रभावित करने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.
- प्रबंधन द्वारा प्रमाणित सभी सात सहायक संस्थाओं के गैर लेखा परीक्षित विवरणों की समीक्षा के दौरान हम लेखा मानक 600, "दूसरे लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" के उपबंधों की संरचना के अनुसार ऐसी सहायक संस्थाओं के संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ संवाद करते हैं.
- हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2021 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधियां और देयताएं*	*अनुसूची*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	पूंजी (नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		15,080.00	14,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	39,639.51	35,247.94
3	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1अ	183.18	168.53
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	2	16,094.00	16,090.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	3	6,371.61	6,020.77
6	सरकारी योजनाएं	4	3,485.35	2,446.92
7	जमाराशियां	5	2,41,572.10	2,36,463.09
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	1,95,882.39	1,39,752.25
9	उधार	7	1,21,658.87	66,710.34
10	चालू देयताएं और प्रावधान	8	18,690.81	15,650.85
	कुल		**6,58,657.82**	**5,32,630.69**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		1,020.66	1,102.35
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन-पत्र - 31 मार्च 2021 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*संपत्ति और आस्तियां*	*अनुसूची*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	नकद और बैंक शेष	9	4,751.09	12,227.85
2	निवेश	10	45,052.34	33,591.06
3	अग्रिम	11	6,03,117.88	4,81,034.31
4	अचल आस्तियां	12	580.89	550.24
5	अन्य आस्तियां	13	5,155.62	5,227.23
	कुल		**6,58,657.82**	**5,32,630.69**
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		1,020.66	1,102.35
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखा के अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण सं. 105146 डब्ल्यू / डब्ल्यू 100621

हसमुख बी डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता सं: 033494

यू एस शेवडे
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
18 May 2021

डॉ जी आर चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आय*	*अनुसूची*	*2020-21*	*2019-20*
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (अनुसूची 18 का नोट बी-8 देखें)		31,441.51	28,983.76
2	निवेश परिचालनों / जमाराशियों से आय		3,372.89	3,866.60
3	अन्य आय		193.78	153.92
	कुल "अ"		**35,008.18**	**33,004.28**

क्रम सं.	*व्यय*	*अनुसूची*	*2020-21*	*2019-20*
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची -18 का नोट बी-7 देखें)	14	24,235.65	23,784.07
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 ए	2,102.77	2,305.58
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 बी	95.05	69.43
4	प्रावधान	16	2,328.01	1,434.80
5	मूल्यह्रास		50.67	37.21
	कुल "आ"		**28,812.15**	**27,631.09**
6	कर से पूर्व लाभ (अ-आ)		6,196.03	5,373.18
7	पूर्व अवधि मदें		–	–
8	आयकर के लिए प्रावधान		1,794.13	1,369.05
9	आस्थगित कर आस्ति समायोजन (अनुसूची-18 का नोट बी-10 देखें)		0.81	46.40
10	**कर पश्चात् लाभ**		**4,401.09**	**3,957.73**
11	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		14.51	20.06
12	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**		**4,386.58**	**3,937.66**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विनियोजन /आहरण*	*2020-21*	*2019-20*
1	**वर्ष का लाभ नीचे लाया गया**	4,386.58	3,937.66
2	**जोड़ें :** लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण*	125.00	99.77
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	**4,511.58**	**4,037.43**
	घटाएँ : निम्नलिखित में अंतरित किया गया		
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	1,100.00	850.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
4	सहकारिता विकास निधि	58.71	17.90
5	अनुसंधान और विकास निधि	29.95	30.33
6	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	457.00	42.50
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	104.03	102.61
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	20.00	26.20
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	17.67	17.95
10	ग्राम्य विकास निधि	47.67	28.55
11	जलवायु परिवर्तन निधि	0.97	1.22
12	उत्प्रेरक निधि और विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव निधि	23.03	10.00
13	प्रारक्षित निधि	2,650.55	2,908.17
	कुल	**4,511.58**	**4,037.43**

* अनुसूची-1 देखें

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा पर नोट्स के लिए अनुसूची 18 देखें.
उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखा के अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू/डब्ल्यू100621

हसमुख बी. डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता सं : 033494

यू एस शेवडे
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
18 मई 2021

डॉ जी आर चिंतला
अध्यक्ष, निदेशक

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित*	*31.03.2021 को शेष*
1	प्रारक्षित निधि	23,944.13	12.67	2,650.55	0.25	26,607.10
2	अनुसंधान और विकास निधि	52.87	0.75	29.95	30.00	53.57
3	प्रारक्षित पूंजी	85.94	-11.13	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित	1,240.00	-	457.00	-	1,697.00
5	सहकारिता विकास निधि	60.00	-	58.71	18.71	100.00
6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	9,435.00	-	1,100.00	-	10,535.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	200.00	-	104.03	4.03	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	20.00	20.00	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	17.67	17.67	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	90.00	-	47.67	27.67	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	0.97	0.97	20.00
12	उत्प्रेरक निधि	10.00	-	16.00	6.00	20.00
13	विकास कॉर्पस निधि	-	5.00	-	-	5.00
14	विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव निधि	-	-	7.03	-	7.03
	कुल	**35,247.94**	**7.29**	**4,509.58**	**125.30**	**39,639.51**
	गत वर्ष	**31,322.43**	**(10.16)**	**4,035.44**	**99.77**	**35,247.94**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 1अ – माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान जोड़े गए*	*वर्ष के दौरान समायोजित*	*31.03.2021 को अंत शेष*
1	शेयर पूंजी	87.70	0.22	-	87.92
2	प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	80.83	14.43		95.26
	कुल	**168.53**	**14.65**	**-**	**183.18**
	गत वर्ष	**146.01**	**22.52**	**-**	**168.53**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को प्रारंभिक शेष*	*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान*	*लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित*	*31.03.2021 को शेष*
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,495.00	1.00	1.00	14,497.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,595.00	1.00	1.00	1,597.00
	कुल	**16,090.00**	**2.00**	**2.00**	**16,094.00**
	गत वर्ष	**16,086.00**	**2.00**	**2.00**	**16,090.00**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय / समायोजन*	*31.03.2021 को शेष*
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	आदिवासी कार्यक्रमों हेतु केएफडब्ल्यू-नाबार्ड V निधि	0.61	0.03	0.02	0.13	0.53
2	केएफडब्ल्यू-नाबार्ड- यूपीएनआरएम - सहबद्ध उपाय	-	1.11	-	1.11	-
3	केएफडब्ल्यू - नाबार्ड -यूपीएनआरएम -वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	-	0.15
4	केएफडब्ल्यू -यूपीएनआरएम निधि [अनुसूची 18 का नोट आ-1 देखें]	-	-	-	-	-
5	केएफडब्ल्यू जोखिम शमन निधि	7.99	-	-	7.99	-
6	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	0.64	-	0.03	-	0.67
7	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम –गुजरात	1.04	-	0.03	1.04	0.03
8	इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम –राजस्थान	0.60	-	0.02	0.56	0.06
9	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	-	0.50	-	0.47	0.03
10	जलवायु परिवर्तन-(एएफबी) परियोजना निर्माण अनुदान	14.36	10.52	0.58	6.28	19.18
11	जीआईज़ेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	-	1.41
12	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	2.43	8.46	-	8.42	2.47
13	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	-	11.16	0.04	10.10	1.10
आ.	**अन्य निधियां**					
1	वाटरशेड विकास निधि (i)	1,384.09	88.97	86.00	107.84	1,451.22
2	विभेदक ब्याज निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	237.80	-	16.96	19.05	235.71

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय / समायोजन*	*31.03.2021 को शेष*
3	विभेदक ब्याज निधि - (तावा)	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजातीय विकास निधि (ii)	1,261.91	88.97	101.03	115.47	1,336.44
6	वित्तीय समावेशन निधि (iii)	2,573.39	296.58	162.18	300.68	2,731.47
7	वित्तीय समावेशन निधि –डिजिटल	18.21	19.04	-	25.28	11.97
8	पीओडीएफ़-आईडी (iv)	252.01	118.63	11.94	68.43	314.15
9	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	64.43	0.84	-	-	65.27
10	आरपीएफ तथा आरआईएफ – कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	21.21	-	1.11	1.77	20.55
11	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेन्स इन को-ऑपरेटिव्स (सी-पेक)	2.74	-	0.21	-	2.95
12	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	27.84	25.03	3.26	-53.69	109.82
13	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	142.04	39.94	4.05	125.47	60.56
	कुल	**6,020.77**	**709.78**	**387.46**	**746.40**	**6,371.61**
	गत वर्ष	**5,701.47**	**715.01**	**370.68**	**766.39**	**6,020.77**

* अनुसूची 18 का आ-3 देखें

नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों के लंबित संवितरण/ उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है.

भुगतान किया गया आयकर शामिल है:

(i) ₹24.41 करोड़

(ii) ₹24.41 करोड़

(iii) ₹81.37 करोड़

(iv) ₹32.55 करोड़

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*01.04.2020 को शेष*	*वर्ष के दौरान परिवर्धन*	*जमा ब्याज**	*वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन*	*31.03.2021 को शेष*
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएं**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी – एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.02	14.65	-	13.96	0.71
4	फसल उत्पादन के लिए ऑन फार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भू-जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.03	-	-	-	0.03
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.08	-	0.01	-	0.09
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.64	-	-	0.17	1.47
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम -राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	1.14	-	-	1.00	0.14
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	4.51	-	-	4.51	0.00
12	आईएसएएम - कृषि विपणन, आधारभूत संरचनाएं	49.95	143.94	-	162.88	31.01
13	आईएसएएम- संवर्धनात्मक व्यय खाते हेतु प्राप्त अनुदान	0.01	-	-	0.01	-
14	राष्ट्रीय पशुधन मिशन –पीवीसीएफ़ ईडीईजी	146.30	112.60	-	183.18	75.72
15	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना	-	-	-	-0.08	0.08
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.07	-	0.01	-	0.08
17	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण -बैफ - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	0.02	-	-	-	0.02
18	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	217.35	-	-	132.85	84.50
19	सोलर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	-	-	-	0.03
20	सीएसएस-जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	0.02	-	-	-	0.02
21	सीएसएस-सोलर फ़ोटोवाल्टिक वाटर पम्पिंग	0.02	-	-	-0.01	0.03
22	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केन्द्र	7.12	10.73	-	10.47	7.38
23	सीएसएस-एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.08	-	-	-0.03	0.11
24	कठोर चट्टानी क्षेत्र में भूजल का कृत्रिम रिचार्ज	4.62	-	-	-	4.62
25	एफ़पीओ के गठन और संवर्धन पर सीएसएस	-	33.27	-	-	33.27

क्रम सं.	विवरण	01.04.2020 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2021 को शेष
आ	**अन्य सरकारी योजनाएं**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	284.65	-	-	2.53	282.12
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	44.75	-	-	7.60	37.15
3	प्रोड्यूस निधि	34.87	-	-	11.30	23.57
4	गैर-लाइसेंसीकृत 23 जिमस बैंकों का पुनरुद्धार	111.22	-	-	-	111.22
5	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	104.41	568.04	-	240.42	432.03
6	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.04	-	-	0.02	0.02
7	कच्छ सूखा निवारण परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
8	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए पुनरुद्धार पैकेज	20.00	-	-	-	20.00
9	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनरुत्थान	8.47	15.56	-	17.20	6.83
10	व्यापक हथकरघा पैकेज	0.23	14.93	-	13.11	2.05
11	ब्याज सहायता (एसएओ एनआरएलएम एनडब्ल्यूआर)	1,320.74	5,385.14	-	4,459.86	2,246.02
12	अरुणाचल एग्री स्टार्ट-अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
	कुल	**2,447.42**	**6,298.86**	**0.02**	**5,260.95**	**3,485.35**
	गत वर्ष	**1,244.84**	**8,35174**	**0.02**	**7,149.18**	**2,447.42**

*अनुसूची 18 का आ-3 देखें

नाबार्ड भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन / ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं हेतु उपर्युक्त निधियों के लंबित संवितरण/ उपयोग को उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा और अप्रयुक्त अधिशेषों पर उपचित ब्याज (जहां लागू हो) रखता है.

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 5 – जमाराशियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	केन्द्र सरकार से	–	–
2	राज्य सरकार से	–	–
3	अन्य से		
	क) चाय/रबड़/कॉफी जमाराशियां	64.10	61.47
	ख) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	1,36,226.93	1,30,442.23
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	44,644.51	44,786.94
	घ) अल्पावधि क्षेत्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	9,921.00	9,952.65
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	5,540.00	5,940.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	44,825.56	44,929.80
	छ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	350.00	350.00
	कुल	**2,41,572.10**	**2,36,463.09**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	करमुक्त बॉण्ड (अनुसूची 18 का नोट आ-16 देखें)	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	75,648.30	48,628.30
3	पूंजी अभिलाभ बॉण्ड	1.29	1.29
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	-	405.46
5	पीएमएवाई- जी - भारत सरकार द्वारा पूर्णत: सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	28,809.80
6	एलटीआईएफ़ बॉण्ड	33,615.40	30,010.50
7	एलटीआईएफ भारत सरकार द्वारा पूर्णत: सर्विस्ड बॉण्ड	18,755.00	14,598.70
8	एसबीएम (जी) भारत सरकार द्वारा पूर्णत: सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
9	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	-
	कुल	**1,95,882.39**	**1,39,752.25**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 7 – उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
(अ)	**भारत में**		
1	केंद्र सरकार	-	-
2	जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
3	भारतीय रिज़र्व बैंक	24,567.00	-
4	**अन्य** :		
	(i) जमाराशि प्रमाणपत्र	11,590.27	21,144.63
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	42,457.06	24,035.75
	(iii) संपार्श्विक उधार एवं ऋण वितरण दायित्व (सीबीएलओ)/ ट्राई पार्टी रेपो*	12,044.39	6,224.71
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	3,601.82	7,210.51
	(v) रेपो खाता-उधार	-	-
	(vi) वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अन्य से उधार	26,435.54	7,039.33
	(vii) वाणिज्य बैंकों से सुविधा	-	-
(आ)	**भारत से बाहर**		
1	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां	959.98	1,052.60
	कुल	**1,21,658.87**	**66,710.34**

* (सीबीएलओ)/ ट्राई पार्टी रेपो के अंतर्गत लिए गए उधार ट्रेज़री बिल्स सहित सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत हैं.

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 8 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउन्ट	7,356.92	7,293.11
2	विविध लेनदार (अनुसूची 18 का नोट आ- 5 देखें)	1,422.52	785.68
3	प्रारक्षित सब्सिडी (सह-वित्तपोषण, शीतगृह सीएसएएमआई)	87.74	106.36
4	ग्रैच्युटी के लिए प्रावधान	5.84	20.81
5	पेंशन के लिए प्रावधान	40.51	162.13
6	साधारण छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	376.53	362.62
7	सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	135.10	135.10
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान [अनुसूची-18 के नोट आ-9 का संदर्भ लें।]	680.00	500.00
9	बॉण्डों पर दावा न किया गया ब्याज	3.22	4.00
10	मीयादी जमाराशियों पर दावा न किया गया ब्याज	-	0.12
11	परिपक्व जमाराशियां लेकिन दावा न की गई	-	0.05
12	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया गया	31.75	39.14
13	बॉण्ड्स प्रीमियम	225.22	88.29
14	डेट सर्विसिंग प्रारक्षित निधि	-	-
15	**प्रावधान और आकस्मिकताएं**		
	क) निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - सरकारी प्रतिभूति	355.70	-
	ख) सरकारी प्रतिभूति के परिशोधन के लिए प्रावधान – एचटीएम	103.92	81.30
	ग) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,637.17	1,937.78
	घ) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	650.35	564.86
	ङ) काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर	1,264.45	514.44
	च) अन्य आस्तियों और प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान	141.24	4.64
	छ) आयकर के लिए प्रावधान [अग्रिम कर को छोड़कर]	3,052.47	3,050.08
16	अन्य देयताएं	120.16	0.34
	कुल	**18,690.81**	**15,650.85**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 9 – नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	हस्ते रोकड़	-	-
2	निम्नलिखित के पास शेष :		
	क) भारतीय रिजर्व बैंक	843.23	621.20
	ख) अन्य :	-	-
	(1) भारत में	-	-
	(i) भारत के अन्य बैंकों में	-	-
	क) चालू खाते में	637.18	540.85
	ख) बैंकों में जमा	3,270.68	11,065.80
	(ii) मार्गस्थ धन प्रेषण	-	-
	(iii) संपार्श्वीकृत उधार और ऋण वितरण जिम्मेदारियां (सीबीएलओ)/ ट्राई पार्टी रेपो	-	-
	(2) भारत से बाहर	-	-
	कुल	**4,751.09**	**12,227.85**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 10 – निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	**सरकारी प्रतिभूतियां (अनुसूची 18 का नोट आ-18 देखें)**		
	(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां [अंकित मूल्य ₹ 35,624.49 करोड़ (₹ 22413.09 करोड़)] [बाजार मूल्य ₹ 37,610.53 करोड़ (₹ 23708.09 करोड़)]	37,878.80	23,248.25
	(ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹ 565.00 करोड़ (₹ 0.00)] [बाजार मूल्य ₹ 556.31 करोड़ (₹ 0.00)]	556.31	-
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - ₹10,000 प्रति इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. [5,31,92,203 (5,31,92,203) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]	966.28	966.28
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) - ₹10 प्रति इक्विटी शेयर]	16.88	16.88
(च)	सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लि. इक्विटी [55,000 (55,000) ₹1000 के प्रति शेयर]	9.75	9.75
(छ)	एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया [4,000 (4000) ₹10 के प्रति शेयर]	0.00	0.00
(ज)	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) ₹10 के प्रति शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड [105,30,000 (105,30,000) ₹10 प्रति शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	अन्य इक्विटी निवेश [बाजार कीमत ₹ 84.88 करोड़ (₹ 82.44 करोड़)]	43.73	47.31
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-14 देखें)	709.80	1,118.34
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	1,482.96	2,246.26
5	**अन्य**		
(क)	म्युच्युअल फंड	2,019.58	3,519.17
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹650.00 करोड़ (₹ 300.00 करोड़)]	618.08	276.87
(ग)	जमाराशि प्रमाणपत्र [अंकित मूल्य ₹ 250.00 करोड़ (₹ 1725.00 करोड़)]	243.44	1,660.04
(घ)	वेंचर कैपिटल फंड/एआईएफ	285.14	222.10
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश	148.26	186.49
	कुल	**45,052.34**	**33,591.06**

@ उपर्युक्त सभी निवेश भारत में किए गए हैं

समेकित तुलनपत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 11 – अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,06,372.45	68,692.87
(ख)	मध्यावधि - परिवर्तन ऋण	15.15	92.00
(ग)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 का नोट आ-14 देखें)	1,96,221.72	1,63,519.32
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	4,566.76	3,025.89
(iii)	अन्य पुनर्वित्त ऋण - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन	-	-
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	1,32,723.87	1,25,647.06
(ख)	वेयर हाउस आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	5,155.31	5,164.37
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	3,464.94	3,161.74
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	17,998.73	11,750.48
(ङ)	उत्पादक संगठन विकास निधि के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	37.58	82.68
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	20,038.21	12,123.24
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	293.35	278.80
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,712.54	44,687.28
(झ)	पीएमएवाई-जी	48,819.03	28,819.23
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस बी एम जी)	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़) के अंतर्गत ऋण	956.33	1,009.69
(ठ)	ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ़) के अंतर्गत ऋण	319.82	344.43
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	1,827.47	-
(ढ)	मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना विकास निधि	193.77	-
(ण)	**अन्य ऋण :**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि से ऋण	0.11	20.64
(ii)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	15.55	129.68
(iii)	जनजाति विकास निधि के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	0.34	0.96
(iv)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	85.17	185.65
(v)	सूक्ष्म वित्त विकास इक्विटी निधि के अंतर्गत ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	1.48	0.10
(vi)	कृषि क्षेत्र संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत कार्यक्रम ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	-	-
(त)	सह-वित्तपोषण ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	-	-
(थ)	नाबार्ड अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण (प्रावधान को छोड़कर)	-	-
	कुल	**6,03,117.88**	**4,81,034.31**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 12 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	**भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत ***		
	अथशेष	201.08	185.84
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	-	15.24
	उप-जोड़	201.08	201.08
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	0.00
	इतिशेष (लागत पर)	**201.08**	**201.08**
	घटाएं : लीज प्रिमिया का परिशोधन	60.80	59.04
	बही मूल्य	**140.28**	**142.04**
2	**परिसर***		
	अथशेष	582.73	424.39
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	73.00	173.45
	उप-जोड़	655.73	597.84
	घटाएं : बेची गई / बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	15.11
	इतिशेष (लागत पर)	**655.73**	**582.73**
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	301.39	280.90
	बही मूल्य	**354.34**	**301.83**
3	**फर्नीचर और फिक्सचर्स**		
	अथशेष	69.72	70.39
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	-1.64	7.39
	उप-जोड़	68.08	77.78
	घटाएं : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.30	8.06
	इतिशेष (लागत पर)	**67.78**	**69.72**
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	62.13	61.64
	बही मूल्य	**5.65**	**8.08**
4	**कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण**		
	अथशेष	174.86	134.80
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	33.08	48.78
	उप-जोड़	207.94	183.58
	घटाएं : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	3.79	8.72
	इतिशेष (लागत पर)	**204.15**	**174.86**
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	145.14	121.08
	बही मूल्य	**59.01**	**53.78**
5	**वाहन**		
	अथशेष	8.60	10.10
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	5.97	4.97
	उप-जोड़	14.57	15.07
	घटाएं : बेची हुई/बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की लागत	2.88	6.47
	इतिशेष (लागत पर)	**11.69**	**8.60**
	घटाएं : अब तक मूल्यह्रास	4.60	4.43
	बही मूल्य	**7.09**	**4.17**
6	चल रहे पूंजीगत कार्य [स्टाफ क्वार्टर्स और कार्यालय परिसर की खरीद]	14.52	40.33
	कुल	**580.89**	**550.24**

* अनुसूची 18 का नोट आ-12 और आ-13 देखें

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 13 - अन्य आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	उपचित ब्याज	3,238.85	3,573.31
2	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.56	1.77
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	37.55	38.48
4	स्टाफ को आवास ऋण	121.15	135.42
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	85.17	93.28
6	विविध अग्रिम	107.38	112.00
7	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	160.80	159.28
8	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 का नोट आ-4 देखें)	1,340.66	1,065.38
9	डिस्काउंट प्राप्य	11.53	27.05
10	बॉण्ड जारी करने पर डिस्काउंट	3.23	3.64
11	पीटीसी का प्रतिभूतिकरण	47.74	17.62
12	मकान मालिकों को अग्रिम	-	-
	कुल	**5,155.62**	**5,227.23**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची
समेकित अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
1	**भुगतान किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियों पर	5,726.58	6,114.48
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि पर*	1,809.50	1,885.81
(ग)	एसटीआरआरबी ऋण पुनर्वित्त निधि*	397.46	418.83
(घ)	भंडारण आधारभूत संरचना निधि	246.35	278.06
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,627.40	1,788.78
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु निधि	14.78	16.08
(छ)	चाय / कॉफी / रबड़ जमाराशियों पर	2.66	3.44
(ज)	सीबीएस जमाराशियों पर	-	-
(झ)	मीयादी मुद्रा उधार	301.18	214.30
(ञ)	बॉण्ड*	9,955.36	8,420.70
(ट)	कॉरपोरेट ऋण	512.14	612.99
(ठ)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	28.33	30.21
(ड)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	-
(ढ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	1,040.96	1,688.88
(ण)	जमाराशि प्रमाण पत्रों पर डिस्काउंट	903.91	1,518.23
(त)	रेपो ब्याज व्यय	19.79	26.17
(थ)	निधियों पर ब्याज भुगतान	364.81	347.46
(द)	एसएलएफ़ के अंतर्गत भा रि बैं से उधार	846.88	
2	सीबीएलओ/ट्राई पार्टी रेपो पर डिस्काउंट	359.30	342.52
3	बॉन्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्गम व्यय	44.71	38.57
4	स्वैप प्रभार	33.55	38.56
	कुल	**24,235.65**	**23,784.07**

*अनुसूची 18 का नोट आ-7 देखें

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूची

समेकित अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 का नोट आ-9 देखें)	943.38	1,015.76
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान/ में अंशदान	694.73	801.34
3	अन्य अभिलाभ एवं भत्ते	120.15	65.33
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	0.14	0.36
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.56	0.31
6	किराया, दरें, बीमा, लाइटिंग आदि	27.73	39.44
7	यात्रा व्यय	26.51	46.70
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	5.08	7.17
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	20.02	20.36
10	मरम्मत	15.44	44.57
11	लेखापरीक्षकों के शुल्क	0.50	0.46
12	विधिक प्रभार	2.03	1.63
13	विविध व्यय	175.31	169.78
14	विविध आस्तियों पर व्यय	10.03	16.79
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	61.17	75.59
	कुल	**2,102.77**	**2,305.58**

समेकित अनुसूची 15 आ – संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
1	सहकारिता विकास निधि	18.71	17.90
2	उत्पादक संगठन विकास निधि	4.03	2.61
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	20.00	1.20
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	17.67	17.95
5	जलवायु परिवर्तन निधि	0.97	1.22
6	ग्राम्य विकास निधि	27.67	28.55
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	6.00	-
	कुल	**95.05**	**69.43**

समेकित तुलन-पत्र अनुसूची
समेकित अनुसूची 16 – प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
	प्रावधान :		
1	मानक आस्तियां	699.40	198.18
2	अनर्जक आस्तियां	878.55	736.59
3	अनर्जक आस्तियां – स्टाफ ऋण	0.06	0.03
4	फ्लोटिंग प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट आ-19 देखें))	750.00	500.00
	कुल	**2,328.01**	**1,434.80**

समेकित अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*31.03.2021 को*	*31.03.2020 को*
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएं	1.08	1.81
	उप जोड़ "अ"	**1.08**	**1.81**
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	-	-
(ii)	बैंक गारंटी	24.18	25.57
(iii)	लंबित विधिक मामले	9.00	-
	उप जोड़ "आ"	**33.18**	**25.57**
	कुल (अ + आ)	**34.26**	**27.38**

अनुसूची 18

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने का आधार:

लेखा ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियां पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार :

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के अपने निवेश की लागत के आधिक्य/ कमी को आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है.

समान लेन-देनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उसे उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के एकल रूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार सहायक कंपनियों से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति को री-कास्ट/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

समेकन में उपयोग किए गए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित नोटों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का अभिप्राय सूचनापरक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मार्गदर्शन करना है. इस संबंध में बैंक ने ऐसे नोटों तथा नीतियों का प्रकटीकरण किया है जो जरूरी प्रकटीकरण को ठीक-ठीक प्रस्तुत करते हैं और मूल तथा सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए अन्य नोटों एवं सांविधिक अनुरूपताओं को छोड़ दिया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को, अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटा देने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को पंक्ति-दर पंक्ति आधार पर एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है. अंत:समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा लागत वसूल किए जाने तक अंत: समूह लेन-देनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई और शेयर धारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया. समेकित सहायक संस्थाओं की हानि में अन्य हितधारकों का हिस्सा यदि इक्विटी में उनके हिस्से से अधिक होता है तो अन्य हितधारकों से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के हित के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएं शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
		2020-21	2019-20
नैबकिसान फ़ाइनेंस लि. (नैबकिसान)	भारत	87.48	87.48
नैबसमृद्धि फ़ाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	भारत	91.09	90.68
नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	भारत	100	-

4. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हैं, वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. ये भिन्नताएं ऐसे परिणामों के वर्ष में दर्शाई जाती हैं.

5. राजस्व निर्धारण:

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई पर ₹10,000 तक के व्यय.

v) ऋण प्रसंस्करण के लिए ग्राहकों से लिया गया अपफ्रंट प्रोसेसिंग शुल्क.

vi) डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत नैबकॉन्स द्वारा प्राप्त की गई अनुप्रवर्तन लागत.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की बट्टा राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 जहां नाबार्ड पास थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी आधार पर सब्सिडी जारी करने संबंधी लेखांकन किया गया है.

5.5 उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

5.6 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.7 संवितरित मीयादी ऋण से ब्याज और बैंकों से प्राप्त ब्याज को, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए अवधिगत अनुपात के आधार पर गणना में लिया गया है.

5.8 सेवाओं से आय (नैबकॉन्स)

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए आय का मुख्य स्रोत, कंपनी को सौपें गए कार्यों से होने वाली आय है. सौंपे गए कार्य के पूर्ण होने पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना गया है

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, जब पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई हो.
- अन्य कार्यों के मामले में, जिनका निष्पादन किसी अवधि में किया जाना है, पूरे किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और प्रभावी की जा चुकी सुपुर्दगियों, निष्पादन की स्थिति और पूरी की गई अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा हो, तो ऐसे मामले में पूरी हुई अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.8.2 विदेश से प्राप्त कार्यों के मामले में, निष्पादन होते ही आय को मान्य किया गया है.

5.8.3 प्रबंधन की राय के अनुसार, जिन कार्यों को जारी नहीं रखा जाना है उन्हें "जैसा है जहां है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.8.4 वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यों पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है.

5.8.5 करार की शर्तों के अनुसार 'पास थ्रू एजेंसी' और अनुप्रवर्तन एजेंसी के कार्य के संबंध में, नैबकॉन्स प्रत्येक किस्त जारी करते समय जारी की गई राशि से प्रोफेशनल शुल्क के रूप में 1.5% राशि की कटौती करने हेतु अधिकृत है. प्रत्येक किस्त की राशि जारी करते समय आय को मान्य किया गया है.

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियां) और मूल्यह्रास:

क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

ख) भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे वाली भूमि शामिल है.

ग) परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहां अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में संशोधन किया गया है और सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 30 वर्षों की अवधि के लिए इसकी गणना की गई है.

ङ) पट्टाकृत भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

च) ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल परिसंपत्तियों (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि को छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रानिक आस्तियों, जैसे लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को पूंजीकृत किया गया है, यदि प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

छ) अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	*मूल्यह्रास दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

ज) आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस महीने से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है और यह गणना आस्ति की बिक्री के वर्ष के उस महीने तक की जाती है जिसमें उसकी बिक्री होती है.

झ) चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल सम्पत्तियों के अंतर्गत प्रकट किया गया है.

ञ) सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्नानुसार की गई है.

सहायक संस्था का नाम	*मूल्यह्रास की प्रणाली*
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी), "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफएस) और "परिपक्वता तक धारित" (एचएमटी) श्रेणियों (यहां से आगे "श्रेणी" लिखा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

ख) जो प्रतिभूतियां मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियां इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आतीं उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

ग) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर रखा गया है, जहां लागत अंकित मूल्य के बराबर है अथवा उससे कम. यदि लागत अंकित मूल्य से अधिक है तो, परिपक्वता के लिए शेष अवधि के दौरान के प्रीमियम को परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में, जहां भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है. ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी/परिशोधन हेतु प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

घ) "एचटीएम'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है.

ङ) "एएफएस'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्रा.लि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है. "एएफएस'' के रूप में वर्गीकृत श्रेणी वाले निवेशों के लिए निवल मूल्यह्रास (यदि कोई है) का प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

च) "एचएफटी'' श्रेणी के अंतर्गत, निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय वित्तीय बेंचमार्क प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर, स्क्रिप-वार, बाजार दर के अनुरूप निर्धारित किया गया है. "एचएफटी'' श्रेणीकृत निवेशों के लिए मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को मान्य किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् एकल स्क्रिप के बही मूल्य को बदला गया है.

छ) सहायक संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

ज) खजाना बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण-पत्रों का मूल्य रखाव लागत पर लिया गया है.

झ) जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उनके अद्यतन लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं तो अनकोटेड शेयरों का मूल्य ब्रेकअप मूल्य पर लिया गया है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी ₹1/- पर उनका मूल्य निर्धारित किया गया जाता है.

ञ) अधिग्रहण के समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी समेत निवेश के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

ट) शेयर बाजार में शेयरों के अधिग्रहण/बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज को पूंजीकृत किया गया है.

ठ) ऋण निवेश पर अदा/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और लागत/बिक्री हेतु उसे नहीं लिया गया है.

ड) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यह्रास है तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

ढ) सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ण) निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत प्रणाली अपनाई गई है.

त) उद्यम पूंजी निधि में निवेश का लेखांकन, संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान:

क) अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों ओर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

ख) अग्रिमों की पुन: संरचना/पुन: अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

ग) अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटा कर अग्रिमों को दिखाया गया है.

घ) निधियों से प्रदान किए गए ऋणों में से अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन:

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में लेखांकन पर जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन प्रबंध निम्नानुसार किया गया है:

क) वर्ष के अंत में/रिपोर्टिंग तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए हिस्से को संविदागत मूल्य पर दर्शाया गया है तथा वर्ष की समाप्ति पर विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलन-पत्र में कॉण्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में प्रकट किया गया है.

ख) आय और व्यय मदों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दरों के हिसाब से परिवर्तित कर दिया गया है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं हेतु लेखांकन

क) विदेशी विनिमय संविदाएं विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज़ करने के लिए की गई हैं.

ख) हेज की गई विदेशी मुद्रा के उधार को संविदागत मूल्य पर दर्शाया गया है.

ग) वर्ष के अंत में हेज नहीं की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुन: मूल्यांकन किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अधिलाभ/घाटे को लाभ और हानि खाते में वायदा विनिमय संविदा खातों के पुन: मूल्यांकन पर प्राप्त अधिलाभ/घाटा शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है. प्रीमियम/ डिस्काउंट को संविदा जारी रहने की अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है.

घ) विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के निरसन और नवीकरण पर लाभ/ घाटे को लाभ और हानि खाते में विदेशी मुद्रा खाते में लाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत मान्य किया गया है.

11. कर्मचारी लाभः

भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिक बैंक के कर्मचारी समझे गए हैं और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यथा-आवश्यक बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभः

अल्पावधि कर्मचारी लाभों, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

ख) सेवानिवृत्ति-पश्चात् लाभः:

i) **पारिभाषित अंशदान योजना**

क) उन सभी पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है, के लिए बैंक में भविष्य निधि योजना है. इस योजना का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है. अंशदान उपचय आधार पर मान्य किए गए हैं.

ख) बैंक ने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में आए हैं. बैंक ने एक पारिभाषित अंशदान योजना 'एनपीएस-कारपोरेट सेक्टर मॉडल' को अपनाया है जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास बीमांकिक (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किए जाते हैं.

ii) **पारिभाषित लाभ योजना**

क) सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में प्रक्षेपित इकाई जमा प्रणाली के आधार पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाता है. इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में उपचय के आधार पर मान्य किया गया है

ख) 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण करनेवाले सभी पात्र कर्मचारियों के पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस योजना के लिए निधि बैंक प्रदान करता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है.

iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ**

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रति वेतन सहित अवकाशों के लिए पात्र हैं. सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य प्रदत्त दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर इकाई लागत पद्धति का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक लाभ या घाटे को लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर दर्शाया गया है.

12. आय पर कर

क) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर योग्य आय और कर जमाओं एवं निर्धारणों/अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण किया गया है.

ख) आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है.

ग) अवशोषित न हुए मूल्यह्रास/ व्यावसायिक हानियों से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है,जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

घ) निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधि के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

क) खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं.

ख) जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उसे'अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है.

ग) जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन-योग्य हैं, उन्हें उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है.

घ) खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकने योग्य आस्तियां और देयताएं शामिल हैं.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

क) प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

i) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो तो, किया जा सके.

ख) क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक स्तर पर किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व हो ;

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो; और

ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता को निम्नलिखित मामलों में प्रकट किया गया:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभाव्य दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि

ख) दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी,

ग) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभाव्य दायित्व जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, बैंक में मांग जमा राशि और अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम है.

ख) नकदी प्रवाह विवरणी को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया जाता है. उपलब्ध सूचना के आधार पर संचालन, वित्त पोषण और निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है.

17. पूर्व अवधि आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को तभी अलग से प्रकट किया गया है जब पूर्व की एकल आय/ व्यय मद सकल आय के 0.5% से अधिक हो.

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंडियन एएस)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं.11/10/2009 सीएल-वी के तहत बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि और आगे के लिए इंडियन एएस आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे जिन्हें 31 मार्च 2018 और इसके बाद समाप्त होने वाली अवधि से तुलनात्मक होना होगा. एआईएफ़आई द्वारा इंड एएस का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगली सूचना प्राप्त होने तक आस्थगित कर दिया गया है.

19. कोविड -19 का प्रभाव

क) संपूर्ण विश्व और भारत में फैले कोविड-19 के कारण सीमित आवागमन और आंशिक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश में आर्थिक गतिविधियों में काफी गिरावट आई है. इस वजह से व्यवसाय के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई है और कृषि क्षेत्र में रबी की लगभग तैयार फसल की कटाई में भी भारी समस्या आई. यही समय होता है जब कृषि फसलें मंडियों (मार्केट यार्ड) में पहुंचती हैं और निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों द्वारा इनकी सुनिश्चित अधिप्राप्ति की जाती है.

ख) धारक बैंक के प्रबंधन ने आंतरिक और बाह्य सूचनाओं के आधार पर कोविड19 की वजह से वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्टिंग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जो अनुवर्ती अवधि की गतिविधियों के आकलन पर आधारित है.

ग) चूंकि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ अत्यावश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत हैं, अत: लॉकडाउन की अवधि के दौरान अधिकांश स्टाफ सदस्यों को ऑनलाइन/डिजिटल मोड के माध्यम से घर से कार्य करने की अनुमति दी गई और इस प्रकार बैंक के नीतिगत मामले, ऋण संवितरण, अधिशेष के निवेश और अन्य परिचालनों का संचालन सुचारु रूप से किया गया. तात्कालिक कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ सीमित स्टाफ सदस्यों को बारी-बारी से कार्यालय से काम करने के लिए बुलाया जाता है.

वर्तमान में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर धारक बैंक के प्रबंधन का अभिमत है कि रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और आस्तियों की क्षतिग्रस्तता पर कोविड-19 का प्रभाव कुछ खास नहीं होगा.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. केएफडब्ल्यू-जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) के साथ हुए करार के अनुसार यूपीएनआरएम के अंतर्गत अभिवृद्धि/ आय तथा व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है. इस निधि से दिए गए ऋण को अन्य ऋण की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 11 में प्रकट किया गया है.

यूपीएनआरएम संबंधी उधार को 'अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार' की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुसूची 7 के तहत प्रकट किया गया है. वर्ष के दौरान इस निधि के अंतर्गत ₹11.73 करोड़ की आय पर ₹17.64 करोड़ के व्यय को दर्शाती हुई ₹5.91 करोड़ (₹21.06 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारत सरकार से ₹33.27 करोड़ प्राप्त हुए.

3. प्रबंधन/निदेशक मंडल द्वारा किए गए अनुमोदन/ तत्संबंधी करारों के अनुसार निम्नलिखित निधियों में अप्रयुक्त शेष पर ब्याज को जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*2020-21 के लिए ब्याज दर*	*2019-20 के लिए ब्याज दर*
1.	वाटरशेड विकास निधि	4%	4%
2.	केएफ़डब्ल्यू – नाबार्ड इंडोजर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	4%	4%
3.	केएफ़डब्ल्यू – सहबद्ध उपाय	4%	4%
4.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि	4%	4%
5.	जनजातीय विकास निधि	4%	4%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	4%	4%
7.	केएफ़डब्ल्यू नाबार्ड–V आदिवासी विकास कार्यक्रम-गुजरात	4%	4%
8.	जलवायु परिवर्तन – (एएफ़बी)-परियोजना निर्माण अनुदान	4%	4%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	4%	4%
10.	पीओडीएफ़-आईडी	4%	4%
11.	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	4%	--
12.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.52%	8.97%
13.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु-गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.52%	8.97%
14.	सेंटर फॉर प्रॉफेशनल एक्सेलेन्स इन को –ऑपरेटिव्ज़	7.52%	8.97%

4. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य ₹6.92 करोड़ (₹1.06 करोड़) में विविध निधियों का नामे अधिशेष शामिल है. ऐसी निधियों का विवरण निम्नानुसार है.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*निधि का नाम*	*31.03.2021*	*31.03.2020*
1	केएफ़डब्ल्यू - यूपीएनआरएम–सहबद्ध उपाय	0.07	0.59
2	केएफ़डब्ल्यू – मृदा परियोजना	6.70	0.00
3	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम – तकनीकी सहयोग	0.00	0.47
4	पौल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड	0.15	0.00

5. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) के संबंध में अंशदाताओं की बकाया राशियों में विविध लेनदारों की ₹30.48 करोड़ (₹30.48 करोड़) की राशि शामिल है.

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा की गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि में बैंक को उपलब्ध 0.5 प्रतिशत से अधिक संबंधित मार्जिन बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि, जनजाति विकास निधि, वित्तीय समावेशन निधि और पीओडीएफ में जमा किया गया.

7. भारत सरकार से विविध योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता की राशि नीचे दी गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*योजना*	*2020-21*	*2019-20*
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	454.71	332.74
2.	मौसमी कृषि परिचालन (एसएओ)	-672.18	-296.60
3.	डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	20.25	15.18
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	15.56	20.54
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	34.60	0.00
6.	मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	1.64	0.00

8. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के वित्तपोषण हेतु रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों, और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त और एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ब्याज मार्जिन को ब्याज आय के रूप में दर्शाया गया है. इस योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्य राशि ₹90.10 करोड़ (₹100.02 करोड़) रही.

9. बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है. 01 नवम्बर 2017 से समीक्षा लंबित है. इस लंबित निपटान के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ₹ 180 करोड़ (₹ 200 करोड़) की राशि वेतन और भत्ते शीर्ष पर उपलब्ध कराई गई.

10. वर्ष के दौरान बैंक ने लेखा मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में, (-) ₹ 11.45 करोड़ ((-) ₹45.09 करोड़) के आस्थगित कर आस्ति को लाभ और हानि खाते में दर्शाया. आस्थगित कर का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*आस्थगित कर आस्तियां*	*31-03-2021*	*31-03-2020*
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	128.38	126.99
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	18.63	31.47
3	अन्य	13.79	0.82
	कुल	**160.80**	**159.28**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

11. वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	*आकलन वर्ष*	*जिस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है*	*द्वारा दायर अपील*	*विवादित राशि (₹ करोड़ में) 31-03-2021 (₹ करोड़)*	*विवादित राशि (₹ करोड़ में) 31-03-2020 (₹ करोड़)*
1.	2006-07	उच्च न्यायालय – मुंबई	आयकर विभाग	115.52	115.52
2.	2007-08	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	89.56	89.56
3.	2008-09	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	-	118.77
4.	2009-10	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	-	194.82
5.	2010-11	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	28.20	28.20
6.	2010-11	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	215.31	215.31
7.	2011-12	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	51.07	51.07
8.	2011-12	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	287.62	287.62
9.	2012-13	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	45.63	45.63
10.	2012-13	आय कर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	25.55	25.55
11.	2012-13	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	327.03	327.03
12.	2013-14	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	1.70	1.70
13.	2013-14	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	380.05	380.05
14.	2014-15	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	450.61	450.61
15.	2015-16	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)	आय कर विभाग	448.87	448.87
16.	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
17.	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69

12. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टेकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹14.00 करोड़ (₹14.00 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका अंतरण किया जाना अभी बाकी है.

13. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

14. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अभिदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

ख) उस पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

ग) आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन 'अनुमन्य अग्रिम'.

15. वित्तीय विवरणों की तिथि पर, आरआईडीएफ़ के अंतर्गत चालू खेपों (XX से XXV) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संवितरित राशि में से, ₹483.17 करोड़ (₹438.65 करोड़) शुरू न हुई परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ इस राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से लंबित प्रस्ताव के मद्देनजर, इस राशि को इस निधि में से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

16. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 फरवरी 2016 की अधिसूचना के संदर्भ में, नाबार्ड को ₹5000 करोड़ तक की राशि के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के अंतर्गत लाभ प्राप्ति योग्य कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी. तदनुसार, 10 वर्षों की अवधि में चुकौती योग्य ₹1,500 करोड़ निजी प्लेसमेंट से तथा 10 और 15 वर्षों की अवधि में चुकौती योग्य ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू से एकत्रित किए गए. कर मुक्त बॉण्ड सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड के स्वरूप में हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति के समक्ष समरूप प्रभार पर तथा नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋणों पर प्रथम प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व पर लगाया गया ब्याज ₹365.41 करोड़ (₹365.94 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,
द रूबी, दूसरी मंजिल, एस डबल्यू,
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई - 400028
दूरभाष : +91 22 6230 0451

17. वेंचर पूंजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित भारिबैं के 01 जुलाई 2015 के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/ 104 डीबीआर. सं. एफ़आईडी. एफ़आईसी.3/01.02.00/2015-16 के अनुसार, वीसीएफ़ की इकाइयों में लगाई गई ₹19.45 करोड़ (₹42.38 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस श्रेणी में स्थानांतरित किया गया.

18. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ गिरवी प्रतिभूतियां शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*अंकित मूल्य*	*बही मूल्य*
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां)	760.00 (750.00)	798.77 (783.15)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो)	23111.05 (13252.00)	24895.54 (14091.46)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियां) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	52.21 (52.21)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ / ट्राई पार्टी रेपो) डिफाल्ट फंड	50.00 (50.00)	52.21 (52.21)

19. अस्थिर प्रावधान और काउंटरसाईक्लिकल प्रोविजनिंग

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
(क)	खाते में अथशेष (काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)	514.44	14.44
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की प्रमात्रा #	750.00	500.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय वर्ष के अंत में अस्थिर प्रावधान खाता का इतिशेष	1,264.44	514.44

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान निर्माण करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा.

20. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश – 23 जून 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं समझा जा रहा है और इसलिए इन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है.

21. वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई सहायक संस्था का गठन किया गया जो पूर्णत: नाबार्ड के स्वामित्व में है.

22. नाबार्ड की सभी सात सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और इनका समेकन इन सहायक संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है. कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति के

कारण सभी सहायक संस्थाओं के लेखा परीक्षण का कार्य समेकित वित्तीय विवरण हस्ताक्षरित होने की तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका था.

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में विचार की गई अलेखापरीक्षित सहायक कंपनियों के आंकड़ें और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उनके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹168.12 करोड़ के अंतर को "प्रारक्षित निधि" शीर्ष की अनुसूची 1 में समायोजित किया गया है.

23. 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में, समूह को आस्थगन अवधि अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच उधारकर्ताओं से 'ब्याज के ऊपर ब्याज प्रभारित करने वाली राशि को लौटाना/ समायोजित करना होगा. वर्ष के दौरान, समूह ने आस्थगन अवधि के दौरान ऋणों पर ब्याज के ऊपर ब्याज प्रभारित करने वाली राशि को लौटाने/ समायोजित करने के लिए ₹1.86 करोड़ का प्रावधान किया है.

24. तीन सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यह्रास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.

25. नैबफिन्स व्यवसाय और विकास कॉरेसपांडेन्ट मॉडल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करता है. कंपनी ने चित्तूर में एक व्यवसाय और विकास कॉरेसपांडेन्ट के माध्यम से समूहों को ऋण उपलब्ध कराया था, इस कॉरेसपांडेन्ट ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के साथ ₹12.10 करोड़ की धोखाधड़ी की. कंपनी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले में पुलिस में एफ़आईआर दर्ज कराई है. कंपनी ने इस संबंध में बीमा कंपनी में दावा भी प्रस्तुत किया है. वर्तमान में यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है.

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नैबफिन्स के कर्मचारियों और कुछ व्यवसाय और विकास कॉरेसपांडेन्ट्स ने ₹0.18 करोड़ का गबन किया था, इसमें से 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹0.02 करोड़ की राशि की वसूली की गई है और वसूली न की गई राशि के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है.

27. एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक आकस्मिक देयताओं में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2020-21*	*2019-20*
अथशेष	25.57	25.02
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	33.18	25.57
वर्ष के दौरान हटाई गई राशि	25.57	25.02
इतिशेष	33.18	25.57

28. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	*विवरण*	*2020-21*	*2019-20*
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल		**0.00**	**0.00**

29. लेखा मानक 18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

चूंकि एएस-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अत: अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है.

संबंधित पार्टियों की सूची :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

पार्टी का नाम	*पदनाम*
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला *	अध्यक्ष
डॉ जी आर चिंतला (मई 2020 से प्रभावी)	अध्यक्ष
श्री शाजी के वी (मई 2020 से प्रभावी)	उप प्रबंध निदेशक
श्री पी वी एस सूर्यकुमार (मई 2020 से प्रभावी)	उप प्रबंध निदेशक
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे **	उप प्रबंध निदेशक
श्री आर अमलोरपवनाथन **	उप प्रबंध निदेशक

*डॉ हर्ष कुमार भनवाला जी का लेन-देन अप्रैल 2020 से मई 2020 तक है.

** उप प्रबंध निदेशक (एचआरडी) और (आरए) क्रमश: अप्रैल और मई 2019 में सेवानिवृत्त हुए.

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन:

(राशि ₹ करोड़ में)

पार्टी का नाम	*संबंध का स्वरूप*	*लेन-देन का स्वरूप*	*वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि*	*बकाया*
डॉ. हर्ष कुमार भनवाला*	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.13 (0.61)	0.00
डॉ जी आर चिंतला	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.63 (0.00)	0.00
श्री शाजी के वी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.59 (0.00)	0.00
श्री पी वी एस सूर्यकुमार	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.56 (0.00)	0.00
श्री हरीशकुमार रसिकलाल दवे**	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.00 (0.13)	0.00
श्री आर अमलोरपवनाथन**	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक – उप प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.00 (0.17)	0.00

*डॉ हर्ष कुमार भनवाला जी का लेन-देन अप्रैल 2020 से मई 2020 तक है.

** उप प्रबंध निदेशक (एचआरडी) और (आरए) क्रमश: अप्रैल और मई 2019 में सेवानिवृत्त हुए.

संबंधित पार्टियों के संबंध में वर्ष के दौरान कोई भी राशि राइटआफ/ प्रतिलिखित नहीं की गई अथवा उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया. संबंधित पार्टियों के संबंधों को प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है तथा लेखापरीक्षकों ने इन पर विश्वास किया है.

30. व्यवसाय खंड के संबंध में सूचना

क) **संक्षिप्त पृष्ठभूमि**

बैंक के मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं:

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिया गया ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेन्सियों/ गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण और सहकारी बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण इस खंड में शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त**: इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों के समक्ष प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है.

iv) **अनाबंटित:** इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है..

ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड से संबंधित सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष वित्त*		*अन्य व्यवसाय (अनाबंटित)*		*कुल*	
व्यवसाय खंड	*2020–21*	*2019–20*	*2020–21*	*2019–20*	*2020–21*	*2019–20*	*2020–21*	*2019–20*	*2020–21*	*2019–20*
राजस्व	3372.89	3867.07	15998.01	15096.98	15472.56	13906.85	164.72	133.28	35008.18	33004.28
परिणाम	2061.34	2248.67	4005.34	2828.64	3425.10	2935.50	-3295.75	-2639.23	6196.03	5373.18
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									**6196.03**	**5373.18**

विवरण	*ट्रेजरी*		*पुनर्वित्त*		*प्रत्यक्ष वित्त*		*अन्य व्यवसाय (अनाबंटित)*		*कुल*	
आयकर									-1794.94	-1415.45
असाधारण लाभ/ हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									4401.09	3957.73
अन्य सूचनाएं										
आस्तियां खंड	48484.91	44693.36	312809.76	241001.39	293758.64	243503.42	3604.51	3432.52	658657.82	532630.69
देयता खंड	99432.66	68543.82	278469.69	219481.93	211455.87	183768.67	69299.60	60836.27	658657.82	532630.69
अनाबंटित देयताएं									0.00	0.00
कुल देयताएं									**658657.82**	**532630.69**

(ग) चूँकि बैंक का परिचालन भारत के भीतर ही होता है अत: रिपोर्ट करने योग्य कोई द्वितीय खंड नहीं है.

30. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं..
31. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां, पुन:समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी
एफ़आरएन : 105146W/W100621
सनदी लेखाकार

हसमुख डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता संख्या.: 033494

यू एस शेवड़े
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
18 मई 2021

डॉ जी आर चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*2020-21*	*2019-20*
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ	6,196.03	5,373.18
के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास	50.67	37.21
प्रावधान और परिशोधन	(0.36)	-
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	875.24	729.49
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,448.42	696.89
पुन: संरचित ऋण के ब्याज में हुए नुकसान के लिए प्रावधान	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	0.26	(0.28)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में की गई वृद्धि/ समायोजन सहित)	387.47	370.71
अन्य व्यय	(8.67)	(0.02)
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	(3,391.51)	(3,880.86)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	5,557.55	3,326.32
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	7,697.95	(2,324.40)
चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	2,902.54	2,837.30
ऋण और अग्रिम में वृद्धि (कर्मचारियों के लिए आवास ऋण और अन्य अग्रिम सहित)	(1,23,709.26)	(51,182.41)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी	(1,07,551.22)	(47,343.19)
आयकर का भुगतान - रिफ़ंड को घटाकर	(1,808.80)	(1,396.68)
(उपर्युक्त में से ₹ 149.28 करोड़ का भुगतान आरआईडीएफ़ की कर-देयता/ एसटीसीआरसी के अंतर के रूप में किया गया और इस राशि को वाटरशेड विकास/ जनजाति विकास/ वित्तीय समावेशन निधि से डेबिट किया गया था.	-	-
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**(1,09,360.02)**	**(48,739.87)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	3,391.51	3,880.84
अचल आस्तियों की खरीद	(85.05)	(101.33)
अचल आस्तियों की बिक्री	1.37	38.25
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(11,994.01)	4,978.99
निवेश गतिविधियों से उपयोग की गई निवल नकदी (आ)	**(8,686.18)**	**8,796.76**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	1,003.32	1,152.66
ब्याज व्यय	(0.00)	-
बॉण्डों से आय	56,130.14	33,949.26
उधार में वृद्धि / (कमी)	55,056.53	(11,018.71)
जमा में वृद्धि/ (कमी)	5,109.02	12,316.42
लाभांश पर कर सहित लाभांश का भुगतान	(0.10)	1,487.74
शेयर पूंजी में वृद्धि	1,065.65	162.32
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी (इ)	**1,18,364.56**	**38,049.69**

विवरण	*2020-21*	*2019-20*
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	318.36	(1,893.43)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	1,162.05	3,055.48
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**1,480.41**	**1,162.05**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:	**2020-21**	**2019-20**
हस्ते रोकड़	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	843.23	621.20
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष	637.18	540.85
मार्गस्थ प्रेषण	-	-
सीबीएलओ दायित्व	-	-
कुल	**1,480.41**	**1,162.05**

बैंकों में रखे गए मांग निक्षेप जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक है उन्हें निवेश के अंतर्गत प्रकट किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

खीमजी कुंवरजी एंड कं. एलएलपी
एफ़आरएम: 105146डब्ल्यू/डब्ल्यू100621
सनदी लेखाकार

हसमुख डेढ़िया
साझेदार
सदस्यता संख्या.: 033494

यू एस शेवड़े
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

मुंबई
18 मई 2021

डॉ जी आर चिंतला
अध्यक्ष

शाजी के वी
उप प्रबंध निदेशक

पी वी एस सूर्यकुमार
उप प्रबंध निदेशक